न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

बइजलास :– सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

मु0न0:– 50/2017

निर्णय दिनांक:– 18/07/2017

1. गजराजसिंह पुत्र श्री रामनिवास जाति राव राजपूत निवासी ग्राम पावसू तहसील फागी जिला जयपुर।
2. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामनिवास जाति राव राजपूत निवासी ग्राम पावसू तहसील फागी जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. प्रभूसिंह पुत्र श्री मंगलसिंह जाति राव राजपूत निवासी ग्राम पावसू तहसील फागी जिला जयपर।
2. भगवानसिंह पुत्र श्री मंगलसिंह जाति राव राजपूत निवासी ग्राम पावसू तहसील फागी जिला जयपुर।
3. भोला उर्फ सुजा पुत्र श्री भीवडा जाति जाट निवासी ग्राम पावसू हाल निवासी बिहारीपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
4. गणेश पुत्र श्री रामू
5. गजानन्द पुत्र श्री रंगलाल
6. रामदयाल पुत्र श्री भैरू

   समस्त जातियान जाट निवासीयान ग्राम पावसू तह0 फागी जिला जयपुर।

7. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता:– श्री शिवनारायण देवन्दा वकील वादीगण

श्री बद्री नारायण चौधरी वकील प्रतिवादीगण

–:: घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा::–

–:: निर्णय ::– दिनांक 18.07.2017

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप्त इस प्रकार है कि भूप्रबन्धक सेटलमेन्ट के क्रम संख्या 153, खाता संख्या 23 के ख0न0 123 रकबा 05 बिस्वा गैर मुमकिन चाह, ख0न0 124 रकबा 02 बिस्वा बंजड डोल जिसके वर्तमान जमाबन्दी में खाता संख्या 146 के आराजी ख0न0 123 रकबा 05 बिस्वा गैर मुमकिन चाह व ख0न0 124 रकबा 02 बिस्वा बंजड डोल कुल किता 02

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

कुल रकबा 07 बिस्वा भूमि वाके ग्राम पावसू तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादीगण के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 का हिस्सा 1/2 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी के पिता का स्वर्गवास हो चूका है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपने उपरोक्त हिस्से में 1/2 पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराते चले आ रहे है। वरवक्त सैटलमेन्ट में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की उक्त खातेदारी भूमि पर सेटलमेन्ट अधिकारीयों कर्मचारियों ने उक्त पैरा नम्बर में वर्णित आराजी पर निम्न प्रकार गलत इन्द्राज कर दिया मंगलसिंह वगै0 मजदूर राहिन मु0. केसर बेवा छीतर सिंह मुरतहीन दर राहिन मादया व चन्दा केसर अरजना व भीवंडा वल्द श्रवण कौम जाट मुरतहीन छाजूसिंह व श्रीनाथसिंह हिस्सा 1/2 कौम राव सा0देह0 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के राजस्व रिकार्ड में उक्त गलत इन्द्राज को विलोपित कर गजरासिंह, महैन्द्रसिंह पि0 रामनिवास, प्रभूसिंह, भगवानसिंह पि0 मंगलसिंह वगै0 मजदूर हिस्सा 1/2 कौम राव सा0देह, गणेशसिंह पुत्र जस्सूसिंह, मानकवंर पत्नि जस्सूसिंह हिस्सा 1/2 कौम राव सा0देह सही इन्द्राज घोषित किया जाना आवश्यक है। वादी को अपनी उक्त खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर विकास कार्य व आराजी पर राज्य सरकार द्वारा उर जाने वाली अनुदान आदि लेने में भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है। प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 को भी अनेको बार गलत इन्द्राज को सही कराने हेतु वादी एव पूवजो से कहा जिन्होने भी हमेशा समय मिलने पर गलत इन्द्राज को अपने बयान देकर सही कराने का आश्वासन देते हुये चले आ रहे है। अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा न्याय आपके द्वारा कार्यक्रम का हवाला देकर वादी ने प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 को गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने हेतु दिनांक 26.05.2017 को कहा एवं इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 7 को भी लिखित में आवेदन किया। जिसपर प्रतिवादी संख्या 7 ने सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर आदेश जाने हेतु कहा एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 ने इन्द्राज दुरूस्त कराने से इन्कार कर दिया तथा धमकी दी हम इस गलत इन्द्राज के आधार पर अपने नाम खातेदारी लगवायेंगे एवं तुम्हे कब्जे से बेदखल करके रहेगे। प्रतिवादीगण को वादी को उसके खातेदारी भूमि अधिकारों से महरूम करे एंव आराजी को अपने नाम लगवाकर वादी को आराजी से बेदखल कर दे। जबकि वादी को यह हक व अधिकार प्राप्त है कि वो गलत इन्द्राज को दुरूस्त करा ले एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा दे। वादी को वाद कारण दिनांक 26.05.2017 को तब उत्पन्न हुआ जब वादी ने प्रतिवादी संख्या 7 को लिखित में आवेदन किया। जिसपर प्रतिवादी संख्या 7 ने सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर आदेश लाने हेतु कहा एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 ने इन्द्राज दुरूस्त कराने से इन्कार कर दिया तथा धमकी दी कि हम इस गलत इन्द्राज के आधार पर अपने नाम खातेदारी लगवायेगे एवं तुम्हे कब्जे से बेदखल करके रहेगे। जों करना है कर लेना। तब से वादी को वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तकर जारी है। वादीगण के पिता रामनिवास ने

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

अपने हिस्से 1/6 व प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हिस्से 1/6 में से दिनांक 25.10.2010 को क्रेता कानसिंह पुत्र मोहनसिंह दत्तक पुत्र सवाई सिंह व हनुमान पुत्र मोहनसिंह जाति राव राजपूत निवासी ग्राम पावसू के पक्ष में हिस्सा 1/12 का विक्रय पत्र तस्दीक करा दिया है। जिसका नामान्तकरण उपरोक्त रहन के इन्द्राज के कारण नही खोला जा रहा है जिस बाबत तहसीलदार को प्रार्थना पत्र दिनांक 26.05.2017 को दिया गया था। राजस्व अधिकारियों ने कहा है कि रहन का इन्द्राज हटने पर ही नामान्तकरण किया जाना सम्भव है। तब से वादी को वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है जों उत्पन्न होने वाद कारण से वाद वादी अन्दर मियाद पेश है। आराजी मुतदाविया मौजा पावसू में स्थित है। इसलिये इस न्यायालय यह वाद पत्र सुनने का अधिकार प्राप्त है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी जारी की गई। प्रतिवादीगण की और से वकील श्री बद्रीनारायण चौधरी ने मय वकालतनामा व राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने राजीनामा के तथ्यो में वादीगण का वाद डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की तथा राहिन का इन्द्राज दुरूस्त किया जाना जाहिर किया।

साक्ष्य हेतु वादीगण ने स्वंय व जेटूसिंह पुत्र गोकुलसिंह, सोहनसिंह पुत्र गुमानसिंह के शपथ पत्र पेश किये जो शमिल मिसल किये गये तथा अपने शपथ पत्रों में वरवक्त सैटलमेन्ट राहिन के गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने बाबत पेश किया।

बहस सुनी गई। वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में वाद पत्र के तथ्यो के दौहराते हुये वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। तथा प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने वाद पत्र के तथ्यो को स्वीकार करते हुये वादी का वाद डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

बहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की वादी ने वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा व इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072 – 2075 वाके ग्राम पावंसू खाता संख्या 146 रामनिवास, प्रभुसिंह, भगवानसिंह पि0 मंगलसिंह वगै मजकूर (राहिन) कैसर बेवा छीतरसिंह मूर्तहीन दर राहिन माध्या, चन्दा पि0 अरजना व श्योराम, भोला पि0 भीवडा हिस्सा बराबर 1/2 कौम जाट मूर्तहीन गणेशसिंह पुत्र जस्सुसिंह मानकवंर पत्नि जस्सूसिंह हिस्सा 1/2 कौम राव सा0 देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। तथा पक्षकारान के मध्य पूर्व में ही राजीनामा हो चुका जो पत्रावली में शामिल है। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश में हम वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण बरूयें राजीनामा के आधार पर डिक्री

लगातार.....4

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

(4)

किया जाकर विवादग्रस्त खाता संख्या 146 के आराजी ख0न0 123 रकबा 05 बिस्वा गैर मुमकिन चाह व ख0न0 124 रकबा 02 बिस्वा बंजड डोल कुल किता 02 कुल रकबा 07 बिस्वा भूमि वाके ग्राम पावसू तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी में वर्तमान राजस्व रिकार्ड अंकन रामनिवास, प्रभुसिंह, भगवानसिंह पि0 मंगलसिंह वगै मजकूर (राहिन) मु0कैसर बेवा छीतरसिंह मूर्तहीन दर राहिन माध्या, चन्दा पि0 अरजना व श्योराम, भोला पि0 भीवडा हिस्सा बराबर 1/2 कौम जाट के स्थान पर नवीन अंकन गजराज सिंह, महेन्द्र सिंह पि0 रामनिवास, प्रभू सिंह भगवानसिंह पि0 मंगलसिंह कौम राव राजपूत सा0देह इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उपरोक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज जमाबन्दी बदस्तुर रहेगा। निर्णय डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18/07/2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत– उपखण्ड अधिकारी फागी(जयपुर)

बइजलास– **सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)**

उनवान

गजराजसिंह पुत्र श्री रामनिवास जाति राव निवासी पावसू तहसील फागी जिला जयपुर वगै0।

बनाम

प्रभूसिंह पुत्र श्री मंगलसिंह जाति राव राजपूत निवासी ग्राम पावसू तहसील फागी जिला जयपुर वगै0 ।

::– वाद घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा व इन्द्राज दुरूस्ती ::–

मुकदमा नं0 – 50/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण बरूये राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त खाता संख्या 146 के आराजी ख0न0 123 रकबा 05 बिस्वा गैर मुमकिन चाह व ख0न0 124 रकबा 02 बिस्वा बंजड डोल कुल किता 02 कुल रकबा 07 बिस्वा भूमि वाके ग्राम पावसू तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी में वर्तमान राजस्व रिकार्ड अंकन रामनिवास, प्रभुसिंह, भगवानसिंह पि0 मंगलसिंह वगै मजकूर (राहिन) मु0कैसर बेवा छीतरसिंह मूर्तहीन दर राहिन माध्या, चन्दा पि0 अरजना व श्योराम, भोला पि0 भीवडा हिस्सा बराबर 1/2 कौम जाट के स्थान पर नवीन अंकन गजराज सिंह, महेन्द्र सिंह पि0 रामनिवास, प्रभू सिंह भगवानसिंह पि0 मंगलसिंह कौम राव राजपूत सा0देह इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उपरोक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज जमाबन्दी बदस्तुर रहेगा।

निज.....—.....मुबलिग.....—.....बाबत.....—.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद वशरह.....—.....फीसदी.....सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18/07/2017 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

दस्तखत.....

मुहर

ओहदा.....

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर